

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....676 / 2015..... जिलाजयपुर.....

उनवान : मैसर्स ए.बी.बी. इण्डिया लिमिटेड, (पूर्व नाम—ए.बी.बी. लिमिटेड) 204–205, द्वितीय तल, कैलाश टॉवर, गांधीनगर मोड़ के पास, लाल कोठी, जयपुर
बनाम

(1) वा. क. अ., प्रतिकरापवंचन—ा, राजस्थान, जयपुर (2) उपायुक्त (अपील्स)—ा, वा.कर.जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज खण्डपीठ <u>श्री बी. के. मीणा, अध्यक्ष</u> <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08 / 06 / 2015	<p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना—पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी—द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना—पत्र संख्या अ.प्रा.—ा/स्थगन/अ.सं. 33 / 15—16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.05.2015 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत—द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2012—13 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61, 64 व 65 के तहत पारित आदेश दिनांक 26.03.2015 से सृजित/वसूलनीय मांग राशि रूपये 14,66,69,916/- की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना—पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 12,25,00,000/- की वसूली पर स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि पर स्थगन से इंकार किया है।</p> <p>अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना—पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री एम. एल. पाटौदी एवं विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत किये गये अन्तर्राज्यीय व्यापार को स्थानीय व्यापार मानते हुए तदनुसार करारोपण किये जाने में त्रुटि की गयी है। इसके अतिरिक्त डी.एम.आर.सी. /जे.एम.आर.सी. को किये गये विक्रय/सप्लाई के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(100)एफडी/टैक्स/10—79 दिनांक 6.10.2010 के तहत घोषणा—पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं होते हुए भी घोषणा—पत्र के अभाव में मांग सृजित किये जाने में त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलीय आदेश में बिना कारण अंकित किये आंशिक स्थगन प्रदान किये जाने में विधिक भूल की गयी है। अतः प्रकरण में शेष वसूली योग्य राशि पर स्थगन आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p style="text-align: right;">२५६३</p>	लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....676 / 2015..... जिलाजयपुर.....

उनवान : मैसर्स ए.बी.बी. इण्डिया लिमिटेड, (पूर्व नाम—ए.बी.बी. लिमिटेड) 204–205, द्वितीय तल, कैलाश टॉवर, गांधीनगर मोड़ के पास, लाल कोठी, जयपुर
बनाम

(1) वा. क. अ., प्रतिकरापवंचन—ग, राजस्थान, जयपुर (2) उपायुक्त (अपील्स)—ग, वा.कर.जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08 / 06 / 2015	<p>राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना—पत्र का विरोध करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, प्रकरण में अवशेष बकाया शेष राशि रूपये 2,41,69,916/- की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p><i>[Signature]</i> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> <p><i>[Signature]</i> अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	